केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/121 दिनांक: 27.04.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00120
CICOM/R/2016/00159

अपीलकर्ता : श्री विद्याधर पाण्डेय,
1901, गौर वैश्विक ग्राम, चतुष्पथ घंटाघर,
गाजियाबाद – 201016.

निर्णय की तारीख : 27.04.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.01.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	12.02.2016, 29.02.2016, 29.02.2016, 26.04.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री सुशील कुमार, श्री दिनेश कुमार, श्रीमती पुष्पा जनार्धनन, श्री एस.पी. बेक
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	02.03.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	118680/07.03.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	132/08.03.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 16 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी। जिसके प्रतिउत्तर में श्री सुशील कुमार, उप-सचिव व जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं. 1, 13, 15 एवं 16 के तहत प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है तथा अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि शेष बिंदुओं पर अभी तक सूचना प्रदान नहीं की गई है।

2. **संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 29.02.2016 को बिंदु सं. 7, 8, 9, 11 व 14 तथा श्रीमती पुष्पा जनार्धनन, जन सूचना अधिकारी, डाक अनुभाग द्वारा दिनांक 29.02.2016 को बिंदु सं. 10 व श्री एस.पी. बेक, संयुक्त सचिव व जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 26.04.2016 को बिंदु सं. 1 से 6 तथा 12 के संदर्भ में सूचनाएं प्रदान की गई है, जिससे स्पष्ट है कि ये सूचनाएं अपीलकर्ता को प्रथम अपील दाखिल करने से पूर्व नहीं मिल पाई हैं। अतः अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु प्रदान**

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
28 APR 2016
Initials..........

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
28 APR 2016
D. No.........
Initials.........

की गई सूचनाओं की प्रतिलिपि पुनः संलग्न की जाती है तथा श्री सुशील कुमार, उप-सचिव व जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि बिंदु सं 15 व 16 के संदर्भ में राजभाषा नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में स्पष्ट सूचना अपीलकर्ता को इस आदेश की प्राप्ति के 10 कार्यदिवसों के अंदर प्रदान की जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि प्रदान की गई सूचनाओं से सहमत न हों तो सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष पुनः प्रथम अपील दाखिल की जा सकती है ।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

संलग्नक: यथोपरि ।

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि (5) 28/4/16

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एस.पी. बेक, संयुक्त सचिव व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
3. श्री सुशील कुमार, उप-सचिव व जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
4. श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
5. श्रीमती पुष्पा जनार्धनन, जन सूचना अधिकारी, डाक अनुभाग, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली। 28/4/16

28/4/16